-1-

(12)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय,राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्र. R-411-I-17 सन् 2017

किशोरीलाल तनय बुद्धे कुर्मी

निवासी सटई तह0 बिजावर जिला छतरपुर म.प्र.------------ **निगरानीकर्ता**

बनाम

शासन म.प्र. ---------------- **गैर निगरानीकर्ता**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0
माननीय अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के न्यायालय मे
विचाराधीन स्वप्रेरणा निगरानी प्रकरण क्रं. 59/अ-19/93-94
नियत दिनांक 30.12.2016 से परिवेदित होकर ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है -

1- यह कि भूमि आराजी नं. 2192/1, 2192/2 रकवा क्रमशः 0.332 है0, 0.640 है0 कुल किता-2 कुल रकवा 0.972है0 का व्यवस्थापन पट्टा नायब तहसीलदार महोदय मण्डल देवरा तह0 बिजावर के द्वारा प्रकरण क्रं. 140/अ-19/79-80 के तहत् ग्राम सटई केम्प में पारित आदेश दिनांक 13.10.1983 को स्वीकृत किया था ।

2- यह कि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टा व्यवस्थापन के तहत् जारी करने के पूर्व समस्त विधिक नियमों का भलीभॉति पालन करते हुये पात्रता के संबंध मे जॉच की गई। निगरानीकर्ता का पट्टा जारी दिनांक के पूर्व से उक्त भूमि पर कब्जा था तथा निगरानीकर्ता को पात्र पाये जाने के पश्चात् उक्त संबंध मे विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर व्यवस्थापन की कार्यवाही सम्पादित की गई।

3- यह कि निगरानीकर्ता को पट्टे मे प्रदाय भूमि वनभूमि व निस्तार पत्रक तथा अन्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित नहीं होकर कृषि भूमि थी जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा पट्टा प्राप्त करने के उपरान्त खाते मे विधिवत् सुधार किया गया तथा कृषि विकास हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा सटई से ऋण भी प्राप्त कर लिया गया ।

4- यहकि तत्पश्चात् वर्ष 1991-92 में तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा दुर्भावनापूर्वक स्वप्रेरणा से पूर्व मे निगरानीकर्ता को जारी पट्टा प्रकरण को अभिलेख सुधार मे लेकर सुनवाई का अवसर दिये बगैर निरस्त कर दिया तथा भूमि को म0प्र0शासन दर्ज करने के आदेश दिये गये जबकि पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी का आदेश वरिष्ठ अधिकारी से

किशोरीलाल पटेल

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 411-I/17 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1– आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र. 59/अ–19/वर्ष 93–94 में पारित आदेश दिनांक 30/12/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के तर्क में कहा गया कि ग्राम सटई स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 2192/1 एंव 2192/2 रकवा क्रमशः 0.332 एंव 0.640 हे भूमि का व्यवस्थापन पट्टा आवेदक को प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदकगण का कब्जा लगभग 65 वर्ष से चला आ रहा है। आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार मण्डल देवरा तह. बिजावर द्वारा प्रकरण क्र 140/ अ–19/ वर्ष 79–80 आदेश दिनांक 13/10/1983 को आवेदक के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित कर भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए जाना का विधिवत् आदेश पारित किया गया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रृटि नहीं की गयी है। परंतु नायब तहसीलदार द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त किए बिना दिनांक 23/12/1991 को आवेदक का स्वीकृत पट्टा निरस्त किए जाने का आदेश दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जांच व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना मात्र नायब तहसीलदार के गलत प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 1993–94 में दिनांक 27/8/1994 को स्वप्रेरणा की कार्यवाही प्रारंभ की गयी जो कि विगत करीब 23 वर्ष से विचाराधीन	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होने से आवेदक को अकारण कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड रहा है जिस कारण से उसका अनावश्यक धन व समय व्यर्थ हो रहा है जिस कारण से उसके द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 33 वर्ष पूर्व किए गए व्यवस्थापन को शून्य किए जाने वावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गयी है जबकि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंडिया एस.एस.सी.44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस. के.गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि म.प्र.राज्य तथा अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रतिपादित किया है। अतः उन्होने निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 4— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण को स्वप्रेरणा निगरानी में लिया गया है तथा यहां यह उल्लेखनीय है कि विगत 33 वर्ष से प्रकरण का कोई निराकरण नहीं किया गया है जो कि मेरे मत अनुसार अत्याधिक लंबा समय है। आवेदक के पक्ष में नायब तहसीलदार देवरा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 13/10/1983 को पारित होने के उपरांत स्वंय नायब तहसीलदार देवरा द्वारा बिना वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति प्राप्त किए हुए पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 23/12/91 पारित किया गया है जबकि संहिता के प्रावधानानुसार वरिष्ठ न्यायालय	

 R 411-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से अनुमति प्राप्त किए जाना आवश्यक है जिस कारण से नायब तहसीलदार द्वारा पुर्नविलोकन में पारित आदेश क्षेत्राधिकारिता विहीन आदेश है। नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवस्थापन आदेश निरस्त किए जाने का आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का भी कोई अवसर प्रदाय नहीं किया गया है जो कि नैर्सिगक न्याय के सिंद्वातों के विपरीत है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1983 में किया गया है एंव प्रस्तावित कार्यवाही 1994 में की गयी ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रकरण क्र 59/अ–19/1993–94 लंबित कार्यवाही समाप्त की जाकर नायब तहसीलदार मण्डल देवरा का आदेश दिनांक 23/12/1991 निरस्त कर उनका आदेश दिनांक 13/10/1983 स्थिर रखा जाता। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	